न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2014RAAJu223RTA012 Arjunram Vs Sajanram etc

अरजुनराम पुत्र वगताराम विश्नोई
निवासी ग्राम रडका वेरा, पडियाल,
तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

----- अपीलाण्ड्स

ब

ना

म

1. सजनसिंह पुत्र कुशालाराम
2. रामरखराम पुत्र कुशालाराम
3. जोधाराम पुत्र कुशालाराम
4. माणकराम पुत्र लुम्वाराम
5. भारमलराम पुत्र लुम्वाराम
6. बुधाराम पुत्र मलुराम
7. मोहनराम पुत्र मलुराम
8. हड़मानराम पुत्र मलुराम
9. लक्ष्मणराम पुत्र मलुराम
10. भीकाराम पुत्र बरसिंगाराम
11. मालाराम पुत्र बरसिंगाराम
12. गोरधनराम पुत्र बरसिंगाराम
13. जगदीशराम पुत्र स्व. वनराम
14. सहीराम पुत्र स्व. वनराम
15. पपुराम पुत्र स्व. वनराम
    कम संख्या 14 से 15 नाबालिग जरिये कुदरती वली पालू पत्नी वनराम
16. बंशू पुत्र रुगनाथ फौत के कायम मुकाम
    16/1 चौथी पत्नी स्व वंशु
    16/2 मदन पुत्र स्व0 वंशु
    16/3 रतनाराम पुत्र स्व वंशु
    16/4 भगवानाराम पुत्र स्व0 वंशु
    16/5 लाछी पुत्री स्व वंशु
    16/6 सुगनी पुत्री स्व वंशु
    16/7 गंवरी पुत्री स्व वंशु
17 प्रेमाराम पुत्र रुगनाथ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

18 रतनाराम पुत्र बंशुराम
19 बाबु पुत्र लुम्बाराम
सभी जातियान विश्नोई सभी निवासीगण ग्राम रडका बेरा पडियाल तहसील फलोदी जिला जोधपुर
20.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विलाड़ा

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय एव डिकी सहायक कलेक्टर फलोदी दिनांक 13 जनवरी 2014 राजस्व वाद संख्या 332/2007 अर्जुनराम व अन्य बनाम साजनराम वगैरा इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलाण्ट्स
श्री सिद्धार्थ परिहार,रेस्पोडेन्ट संख्या1 व 8 एव 14 से 15
श्री प्रेमकुमार विश्नोई,रेस्पो.सं.16 के कायमुकामान की ओर से
श्री दूदाराम चौधरी , राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 20

नि र्ण य

दिनांक :-11 नव., 2019

अपीलाण्ट ने विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 332/2007 अर्जुनराम बनाम साजनराम आदि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 13 जनवरी 1914 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत यह अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 04 फरवरी 2014 को पेश की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी-अपीलाण्ट ने आराजी खसरा संख्या 346 रकबा 582 बीघा 04 विस्वा वाके मौजा रडकापुरा तहसील फलोदी के संबंध में एक राजस्व वाद पेश कर जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी वक्त बंदोबस्त स्व. लुम्बा पुत्र मिसरी एक-तिहाई, बगता, बंसीया पुत्र रुगनाथ एक-तिहाई तथा मलू

पुत्र गोरखा की खातेदारी में थी, लूम्वा के फौत होने पर उसके हिस्से की भूमि उसके वारिसान कोसला, माणक, भरमल व बाबु के नाम दर्ज हुई , बगता के फौत होने पर उसके पुत्र अपीलाण्ट अरजुनराम का नाम तथा मलु पुत्र गोरखा का देहान्त होने पर उसके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुए। मगर दिनांक 18 सितम्बर 1968 को म्युटेशन संख्या 131 स्वीकृत किया जाकर अपीलाण्ट तथा बंशी पुत्र रूगनाथ द्वारा खसरा संख्या 346 में से 28 बीघा 12 बिस्वा भूमि का भीका, माला, जीवन, गोरधन पिसरान बरसिंगा एवं जगदीश, सहीराम, पपुराम पिसरान जीवनराम के पक्ष में जरिये बेचान हस्तान्तरण बताते हुए नामान्तरण स्वीकृत कर दिया गया और खसरा संख्या 346/1 अलग कायम कर दिया गया, जबकि वास्तव में अपीलाण्ट तथा बंशी पुत्र रूगनाथ ने कोई बेचान किया ही नहीं। इसी म्युटेशन को निरस्त करवाने और अपने हिस्से को पूर्वानुसार करवाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने दावा पेश किया, जो स्वीकार किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दावा दिनांक 27 दिसम्बर 2012 को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रकरण प्रतिवादीगण के जवाब हेतु विचाराधीन चलने के दौरान दिनांक 20 दिसम्बर 2013 को एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 11 सीपीसी प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत कर वाद रेसज्युडिकाटा से वाधित होना जाहिर किया गया। जिसका जवाब दिनांक 24 दिसम्बर 2013 को वादी की ओर से पेश कर प्रार्थी-रेस्पो. के प्रार्थनापत्र का खण्डन किया गया। दिनांक 13 जनवरी 2014 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए वादी-अपीलाण्ट का मूल दावा खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर वादी-अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील पेश की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट का तर्क है कि आलौच्य मामले में धारा 11 सीपीसी के प्रावधान लागू ही नहीं होते है क्योंकि पहले का जो वाद संख्या 159/1997 पेमाराम बनाम बंशीराम अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18 अगस्त 2000 को निर्णित हुआ, उसके तथ्य, पक्षकारान एवं वाद की विषय-वस्तु वर्तमान वाद संख्या 332/2007 से सर्वथा भिन्न थे। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट का दावा करीब 6 साल तक जवाब दावे हेतु लम्बित चलता रहा और फिर यकायक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 11 सीपीसी के प्रार्थनापत्र के आधार पर खारिज कर दिया गया। धारा 11 सीपीसी के संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा प्राप्त करने के बाद एक कानूनी तनकी बनायी जाकर निस्तारण किया जा सकता है। प्रार्थनापत्र के तौर पर सरसरी कार्यवाही कर ऐसे महत्वपूर्ण विन्दु का निपटारा नहीं किया जाना चाहिये। तनकी कायम की जाकर वेचाननामा को वतौर सवूत अभिलेख पर लिया जाकर समुचित जॉच भी की जानी चाहिये, इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जावे तथा प्रकरण इस निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे कि दोनों पक्षों की साक्ष्य सुनवाई के बाद नये सिरे से वाद की सुनवाई की जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन किया और कथन किया कि धारा 11 सीपीसी का विन्दु कानूनी होने के कारण सर्वप्रथम निर्णित किया जाना होता है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय न्यायोचित पारित किया गया है। पूर्व में इसी आराजी बावत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवं 188 के तहत वाद संख्या 159/1997 पेमाराम बनाम बंशीराम व अन्य गुणावगुण पर अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18 अगस्त 2000 को

निर्णित किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में पुनः उसी वादग्रस्त आराजी बाबत नया दावा सिविल प्रकिया संहिता की धारा 11 के तहत बाधित है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया।

सिविल प्रकिया संहिता की धारा 11 इस प्रकार है --

11. कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाधक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाध-विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्ही पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिनके व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते है, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का, जिसमें ऐसा विवाधक वाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है।

धारा 11 सीपीसी की मंशा जाहिर करते हुए व्यक्त यह मत भी महत्वपूर्ण है कि --

Section 11 of the code of Civil Procedure, 1908, embodies the rule of *res judicata* or the rule of conclusiveness of the judgment, as to the points decided either of facts, or of law, or of facts and law, in every subsequent suit between the same parties. It enacts that once a matter is finally decided by a competent Court, no party can be permitted to reopen it in a subsequent litigation. The doctrine of *res judicata* has been explained by Das Gupta J. in the case of Satyadhyan Ghosal v. Deorjin Debi as:

"The principle of *res judicata* is based on the need of giving a finality to judicial decisions. What it says is that once a *res* is *judicata*, it shall not be adjudged again. Primarily it applies as between past litigation and future litigation. When a

matter, whether on a question of fact or a question of law, has been decided between two parties in one suit or proceeding and the decision is final, either because no appeal was taken to a higher Court or because the appeal was dismissed, or no appeal lies, neither party will be allowed in a future suit or proceeding between the same parties to canvass the matter again."

वैसे धारा 11 सीपीसी का अवलोकन करने मात्र से ही विदित होता हैं कि यह धारा उसी मामले में लागू होती है, जहॉ पूर्ववर्ती प्रकरण अर्थात वह प्रकरण जो पहले निर्णित किया जा चुका है, और पश्चातंवर्ती प्रकरण, अर्थात वह प्रकरण जिसका विचारण चल रहा है, दोनों में पक्षकारान एक समान है, दोनों की विषय-वस्तु यानि वादग्रस्त आराजियात एक ही हो, और दोनों में विवाद के बिन्दु भी एक समान ही हो। आलौच्य मामले में पूर्ववर्ती वाद संख्या 159/1997 तथा पश्चातवर्ती वाद संख्या 332/2007 का उक्तानुसार तुलनात्मक अध्ययन करने पर निम्नलिखित परिणाम सामने आते है --

क्र. सं.	तुलना का आधार	पूर्ववर्ती वाद संख्या 159/1997	पश्चातवर्ती वाद संख्या 332/2007
1	पक्षकारान	कुछ उलट-फेर के साथ दोनों मामलों के पक्षकारान एक समान नहीं है।	
2	वादग्रस्त आराजियात	खसरा संख्या 346, 412, 344, 345 वाके मौजा रड का पुरा	केवल खसरा संख्या 346 वाके मौजा रड का पुरा
3	विवाद के बिन्दु	वक्त सेटलमेण्ट गलत इन्द्राजात के कारण खातेदारी अधिकारों की घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा	गलत व निराधार **म्युटेशन के आधार पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राजात के कारण राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा।** इस वाद का **वाद-हेतुक भी पूर्ववती वाद का निस्तारण हो जाने के बाद** उत्पन्न हुआ है।

स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया पूर्ववर्ती वाद एवं पश्चातवर्ती वाद के वादकरण और इस्तदुआ में अन्तर दिखाई पड रहा है और इसकी तह तक जाने के लिए पक्षकारान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक है। इसके लिए यह जरूरी है कि प्रतिवादी-पक्ष से जवाब-दावा अभिलेख पर लिया जाकर आवश्यक तनकियात नियमानुसार कायम की जावे और दोनों पक्षों की साक्ष्य सुनवाई के बाद तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण कर विधिसम्मतः तौर पर सर्वप्रथम रेसज्युडिकेटा से संबंधित तनकी का निस्तारण करते हुए निर्णय पारित किया जावे।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 13 जनवरी 2014 अपास्त किये जाते है तथा प्रकरण उपरोक्त ऑब्जर्वेशन के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार कार्यवाही कर न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/11/19

(नखतदान बारहठ)

राजस्व अपील प्राधिका , जोधपुर